बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधि० सं०:–2 / अ0प्र0–1–360 / 2018 823 / पटना, दिनांक :– 27/4/23

श्री पंकज कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, इमामगंज द्वारा अधिसूचना सं0–1892 सह–पठित ज्ञापांक 1893 दिनांक 14.11.2022 द्वारा अधिरोपित दंड के विरूद्ध पुनर्विलोकन अर्जी दायर की गयी है।

2. श्री कुमार को कार्य प्रमंडल, इमामगंज अंतर्गत वर्ष 2016–17 में स्वीकृत L061-T01 से सिंहपुर (सिद्धपुर से भोक्ताडीह) पथ के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने में अप्रत्याशित रूप से विलंब किये जाने के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक 2773 अनु0 दिनांक 19.09.2019 द्वारा की गयी कारण पृच्छा के आलोक में प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त उक्त अधिसूचना सं0–1892 सह–पठित ज्ञापांक 1893 दिनांक 14.11.2022 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)(संशोधन) नियमावली 2007 के नियम 14(i) एवं 14(V) के तहत निंदन (आरोप वर्ष–2017–18) एवं असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित की गयी।

3. श्री कुमार के द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन अर्जी में उल्लेख किया गया है कि वे ईमामगंज कार्य प्रमंडल में अगस्त 2016 से जून 2019 तक कार्यपालक अभियंता के रूप में रहे। ईमामगंज, बांके बाजार एवं डुमरिया प्रखंड सधन उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में आते हैं, जहाँ इस अवधि में उग्रवाद संबंधित घटनाएँ–संवेदको को धमकाना, कार्य बंद करवाना, लेवी बसुलने हेतु जान से मारना एवं संवेदकों के मशीनरी में आग लगाना की घटना चरम पर था। उनके द्वारा कई योजना अपने साहस के बल पर जिला प्रशासन से सम्पर्क करते हुए पुलिस बल के प्रतिनियुक्ति के उपरान्त कार्य सम्पन्न कराया गया। कई योजनाएँ समय पर पूर्णता के मामले में प्रभावित पाया गया। T01 से सिंहपुर (BR-12R-891) उनमें से एक है। संवेदक द्वारा दिनांक 23.09.2017 को थाना प्रभारी के समक्ष प्राथमिकी भी दर्ज कराया गया था। वर्त्तमान में यह योजना पूर्ण हो चुकी है।

4. श्री कुमार के पुनर्विलोकन अर्जी की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री कुमार को नियमावली में विहित प्रक्रिया यथा आरोप के संबंध में स्पष्टीकरण पूछकर विचारोपरान्त दंड संसूचित किया गया है। निष्कर्ष साक्ष्य समर्थित है, जिसके आलोक में दंड अधिरोपित किया गया है एवं अधिरोपित दंड उचित है।

अतः उपुर्यक्त परिप्रेक्ष्य में श्री पंकज कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, इमामगंज सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, बिहारशरीफ के पुनर्विलोकन अर्जी को सक्षम प्राधिकार द्वारा अस्वीकृत किया गया है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

10/4/2023

(संजय दूबे)
विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–360/2018 824 /पटना, दिनांक :– 27/4/23

प्रतिलिपि :– महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार, पटना, वीरचंद पटेल पथ, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/4/2023

विशेष सचिव

प्रतिलिपि :– 2/अ0प्र0–1–360/2018 824 /पटना, दिनांक :– 27/4/23

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/भवन निर्माण विभाग/ ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अचंल, नालन्दा/गया कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ/इमामगंज/प्रशाखा पदाधिकारी–6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई0टी0 मैनेजर/श्री पंकज कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, इमामगंज सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/4/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–360/2018 824/पटना, दिनांक :– 27/4/23

प्रतिलिपि :– माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के आप्त सचिव को माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के अवलोकनार्थ प्रेषित।

10/4/2023

विशेष सचिव

आई. टी. मैनेजर

20